SHRI S M. BANERJEE: The Birlas, the Tatas, and the Goncnka are all there, and they have no capacity to pay but the others have the capacity to pay!

14.16 hrs.

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो विधेयक है, मैं उस का विरोध करता हूं और वह विरोध इस लिए है कि इस विधेयक के जरिये हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं, जो न्याय-विसंगत और न्याय विपरीत है । रेक्वीजीशनिंग एंड एक्वीजीशन आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी एक्ट के अनुसार जब तक हम लोग यह साबित नहीं करेंगे कि किसी खास पब्लिक परपज के लिये किसी जमीन की जरूरत है, तब तक हम को रेक्वीजीशन और एक्वीजीशन नहीं कर सकते हैं । मुझे याद है कि जब पूना में डेम डिसास्टर हुआ, तो हम ने बहुत से लोगों को घर देने के लिए जमीन को रेक्वीजीशन किया था और उस का एक्वीजीशन करने जा रहे थे, मगर इस कानून के कारण हम उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सके ।

इमरजेंसी के कारण डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के मातहत हुकूमत को एक-दम ब्लैंकेट पावर्स मिल गई थीं । लोगों ने इस बात को कबूल किया कि जब देश पर कोई संकट है, तो हमें हुकूमत को अख्तयार देना चाहिए और वह अख्तयार उस को मिल गया । उस अख्तयार के मुताबिक जो जमीनें रेक्वीजीशन की गई हैं, उन के बारे में गोया एक इनडेम्निटी एक्ट बन रहा है और जो जमीनें नहीं लेनी चाहिए थीं, जिन पर कुछ इमारतें या स्ट्रक्चर बना दिये गये हैं उन को रेक्वीजीशन के अधीन रखा जायेगा । इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में कहा गया है :

"On many of these requisitioned lands valuable structures have been put up. In the majority of the cases it has not been possible tc vacate the lands and hand them over to the owners."

अगर यह स्थिति हो भी कि किसी जमीन पर इमारत या स्ट्रक्चर बना है और हम मालिक को वह जमीन वापिस नहीं दे सकते, हैं, तो बुनियादी सवाल यह है कि क्या इमरजेंसी के लिए उस जमीन की जरूरत थी । जैसा कि श्री कंवरलाल गुप्त ने अभी कहा है, किसी योगी के लिए जमीन ले ली गई है । हम को तो यह नहीं लगता है कि इमरजेंसी में किसी योगी के काम की जरूरत थी, जिस के लिए लोगों की जमीन ली जाये ।

जगह जगह हम ने यह भी देखा है कि जमीन लेने के सम्बन्ध में, किस की जमीन ली जाये और किस की न ली जाये, इस बारे में गर्वनमेंट और उस के अधिकारियों द्वारा डिसक्रिमिनेशन किया गया है । अब इस प्रकार की जमीनों को हड़प करने की कोशिश हो रही है ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) पैसा दे कर हड़प करेंगे ।

श्री एस० एम० जोशी: जब कोई पब्लिक परपज नहीं है, तो एक्वीजीशन करने का कोई अधिकार नहीं है । हकूमत को इस का अधिकार तभी होगी, जब कि पब्लिक परपज के लिए जरूरी हो । मेरा कहना यह है कि जो जमीनें रेक्वीजीशन की गई या एक्वायर की गई और जिन को रेक्वीजीशन के अधीन रखने का विचार है, उन के बारे में पहले यह साबित करना चाहिए कि वे पब्लिक परपज के लिए जरूरी थीं । तब कहीं जाकर उस को मुआवजा देने की बात आती है । इन ए कोर्ट आफ ला

[श्री एस० एम० जोशी]

साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा और यहां जो पावर मिलती है वह ब्लैंकेट पावर है। मैं समझता हूं हमारा जो संविधान है उस के विपरीत यह चीज है। किसी के भी अधिकार को इस तरह छीन लेना और एमरजेंसी के सहारे उस की आड़ में लेकर उस को उस से वंचित कर देना किसी तरह उचित नहीं है। यह पहला फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का और उस वक्त तो हमारे जो फंडामेंटल राइट थे उस में यह नियंत्रण था, अब आप लोगों ने उसे ले लिया और लेने के बाद बाकायदा बना देते हैं तो यह चीज नहीं चलेगी। मेरा बुनियादी इस पर विरोध है कि इस बिल को या तो मुल्तवी रखा जाये जब तक कि वह कमेटी जो बैठी है उस की रिपोर्ट न आ जाये और जो कि हमारे दोस्त रणधीर भाई ने कहा वह भी बात है। पहले यह दोस्त हमारी पार्टी में थे। अब भी उन में पहले की जो इंसपिरेशन है वह कुछ बाकी है कि अभी वहां उस पार्टी में बैठ कर भी एक न्याय की बात बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने कही। मैं दूसरों को भी यह कहूंगा, चाहे यह पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, हम सभी देश का हित चाहते हैं, मैं कांग्रेस के कई साथियों से पूछता हूं कि जो बिल बनते हैं कभी लेजिस्लेटिव पार्टी में उस पर चर्चा भी करते हैं ? अगर नहीं करते हैं तो इस तरह के बिल आ जायेंगे और जो अधिकार अवाम के हैं, उन्हीं के ऊपर तो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बड़े आदमी अपनी जमीन की सुरक्षा ठीक तरह से करते हैं। गरीब जो हैं उन्हीं की सुरक्षा नहीं होती है। इसलिए यह बिल मैं समझता हूं कि संविधान के खिलाफ है। न्याय के खिलाफ है। इस को या तो मुल्तवी रखा जाये उस कमेटी की रपोर्ट आने तक या इस में ऐसा कुछ किया जाये कि जिस में कोर्ट में जाकर उस में यह सिद्ध किया जा सके कि इस जमीन का एमरजेंसी में लाना जरूरी नहीं था और अगर यह सिद्ध हो जाये तो चाहे 50 लाख की भी इमारत आप ने उस पर क्यों न बनाई हो, वह गिरानी पड़ेगी, और दूसरा कोई रास्ता इस का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): Mr. Deputy-Speaker, Sir.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be brief. Time is limited.

SHRI D. C. SHARMA: Time is limited but the Bill is long.

It is the privilege of the Opposition to read more into a Bill than is warranted by it. I concede them this privilege. It is also the privilege of some Members of the Congress Party that whatever the occasion may be, whatever the subject under discussion may be, whatever the Bill may be, they will bring in their pet fancies and their pre-conceived ideas into this. There are some persons who would always be talking of kisans and jawans as if we are not concerned about them. This is a case of inverted sympathy. This is a case of perversion of understanding. This is a case of importing prejudice into something where there is no occasion for it.

What is this Bill? This Bill is sequential in its nature. It tries to legalise (An Hon. Member: Perpetuate). What was already been there.

SHRI PILOO MODY (Godhra): You mean, so far it was illegal?

SHRI D. C. SHARMA: It tries to put the stamp of legal approval on what was done under the Defence of India Rules. The Defence of India Rules have gone by the board and, therefore, this Bill has come into being. At the same time, since they went overboard during the inter-session period an Ordinance was issued and this Bill tries to put into effect what was done

under the Defence of India Rules and what was sanctioned under the Ordinance which was promulgated by the President of India. Therefore I do not think that there is any infringement of the fundamental rights or that there is any breakdown of legal things in this Bill. I think, it is a perfectly legal and constitutional Bill which does not try to take away the fundamental right of any citizen and which does not try to take away the right to property which any citizen of India has.

SHRI PILOO MODY: Subject to Government charity.

SHRI D. C. SHARMA: After all, we are living in a democratic era under a democratic Constitution where nobody can be deprived of his property unless and until it is for very cogent, emergent and national reasons. I think, nobody would try to go against that.

What is our priority in this country? I think, agriculture has got a priority in this country. There is no doubt about it. But I would say, and I am sure will agree with me, that along with agriculture goes defence. If anybody says that agriculture should have priority but defence should go overboard, I think, he is not trying to do something which is good for our country. Agriculture and defence are the right arm and the left arm of mother India. Anybody who wants to cut one arm, I think, is doing injustice to mother India. I think, that should not be misunderstood.

What about compensation? So far as compensation is concerned, I think, there is a more liberal provision in the Bill than what was made when the Bhakra Nangal Dam was acquired. I think, one should not quibble at that provision.

Now, a yogi has been brought into the picture. I know that Yogi, Swami Dharmendraji Maharaj. He teaches Raja Yoga which is one of the greatest legacies of India and which is one of the greatest legacies of our civilisation. It has been preached to us throughout the ages.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nobody questions the teaching of yoga. Now come to the point.

SHRI D. C. SHARMA: Sir, this Raja Yoga was preached by Swami Vivekananda of whom you are a disciple and of whom I am also a disciple. If some land is taken away for building an ashram for the preaching and propagation of Raja Yoga, I think, that is not something done which is unfair or unjust. This Raja Yoga is very much talked of in so many countries of the world in Soviet Union, in U.S.A., etc. and it conforms to the scientific tests that have been held all over the world.

That they have waxed eloquent about this ashram, I feel for them. I feel as much as anybody for them. But I would say that they should have waxed eloquent when jhuggis and jhompries were being demolished, when the Metropolitan Council is here. They have one standard for the Metropolitan Council and another standard for the Government of India.

With these words, I would say that there is nothing harmful in this Bill and that it should be passed as it is.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Prakash Vir Shastri:

I would request the hon. members to confine themselves to their time-limit They may not take more than five minutes each.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक का मैं इसलिये प्रमुख रूप से विरोध करना चाहता हूं कि हमारी संसद् से दो प्रकार के अधिकार सरकार लेती है—एक अधिकार वह जो कि सामान्य परिस्थितियों में सरकार संसद् से लेती है और दूसरे वे अधिकार कि जिस समय देश पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हुआ हो, उस समय सरकार को जो अधिकार

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दिये जाते हैं । लेकिन यदि सरकार संकट-कालीन अधिकारों का दुरुपयोग कर के उन को सामान्य अधिकारों के रूप में परिणित करे तो एक गलत परम्परा प्रारम्भ करेगी और ऐसी स्थिति में आगे चल कर संसद् को यह विचार करना पड़ेगा कि संकटकालीन अधिकार इस सरकार को दिये जायें या न दिये जायें ।

इस विधेयक की पृष्टभूमि ही यह है । भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने जो अधिकार प्राप्त किये थे, आज उन को वह सामान्य अधिकारों के रूप में परिणित करने जा रही है और इस प्रकार एक गलत परम्परा यह सरकार डालने जा रही है ।

दूसरी सब से बड़ी चीज यह है कि जिस आश्रम की चर्चा अभी यहां पर चल रही थी, मैं नहीं जानता कि श्री दीवान चन्द शर्मा ने जानबूझ कर ही स्वामी विवेकानन्द के नाम को इस योग-आश्रम के साथ सम्बद्ध किया अथवा किस प्रकार से किया ? लेकिन यह योग-आश्रम, जिसके लिये भूमि पार्लियामेंट भवन के बराबर दी जा रही है, उससे अस्वस्थ परम्परायें अगर प्रारम्भ होंगी । पार्लियामेंट से सम्बन्धित जो इंस्टीचूशन्ज हैं, जिनमें एक आध के बारे में आप भी जानते हैं, जैसे इण्डियन इंस्टीचूट आफ पार्लियामेंट्री स्टडीज है, उस ने जब इस मंत्रालय से रिक्वेस्ट की कि हम को भवन बनाने के लिए जमीन दीजिये उन कोकहा गया कि धौला कूआं पर जमीन मिल सकती है, पालम एयर पोर्ट के पास जमीन मिल सकती है, लेकिन योगाश्रम के लिये जमीन दी जा रही है गोलडाकखाने पर । मैं जानता हूं कि इस में जगन्नाथ राव दोषी नहीं हैं क्योंकि यह योगाश्रम वहां है, जो एक इतिहास बना चुका है, जिसके पीछे एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को हटना पड़ा था यह वही योगाश्रम है जो जन्तर मन्तर रोड पर था मैं उस के सारे इतिहा में नहीं जाना चाहता । इस में जगन्नाथ राव इतने दोषी नहीं हैं, जितना इन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि पार्लियामेंट के बगल में इस प्रकार का योगाश्रम बनाया जाये । श्री दीवान चन्द शर्मा ने स्वामी विवेकानन्द का नाम जोड़ कर जिस प्रकार स्वामी विवेकानन्द के यश को अपमानित किया है, आज नहीं तो कल श्री दीवान चन्द शर्मा अपने ही कथन पर पश्चाताप करेंगे । कहां यह आश्रम और कहां स्वामी विवेकानन्द, दोनों को इस प्रकार लाकर जोड़ना एक गलत परम्परा है ।

यह बात तो एक शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो एक और बुरी चीज होने जा रही है, अब मैं उस का उल्लेख करना चाहता हूं । मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस संसद् में करता हूं कि जहां पर अधिकांश किसानों की जमीनों को लेकर कुछ सरकारी फैक्टिरियां या निजी फैक्टरियां या सरकारी हवाई अड्डा बनाया जा रहा है । कुछ दिन पहले आपको याद होगा इसी संसद के ऊपर गाजियाबाद के कुछ किसानों ने अपने बाल-बच्चे और परिवारों के साथ प्रदर्शन किया था । उन्होंने यह मांग की थी कि हमारी भूमि का बाजार में जो दाम मिल सकता है, वह हम को मिलने चाहियें । उस समय प्रधान मंत्री प० जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था । इतने वर्षों की लिखा-पढ़ी के बाद भी, आज मैं आपको कहता हूं, अब तक भी उन किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला । कभी तो यह कह दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां दिक्कत है, कभी यह कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस के बारे में निर्णय नहीं किया और डिफेंस मिनिस्ट्री यह कहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार सहमत नहीं हो रही है । नतीजा यह है कि किसानों के घर में आज पच्चीस-पच्चीस और तीस-तीस साल की लड़कियां बठी हैं, बिना पसे के वह विवाह नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों के पेट-पालन

की समस्या उनके सामने है । हिण्डन एरिया में आठ गांवों की जमीनें ली गई, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि देश की सुरक्षा का कार्य था लेकिन आखिरकार जिनको उजाड़ा जा रहा था, जिनके मुंह का टुकड़ा छीना जा रहा था, उन के भविष्य का प्रबन्ध भी तो सरकार को करना चाहिये था कहीं जा कर जमीन के बदले में जमीन ले लेते, कहीं पर झोंपड़ी डाल कर सिर छुपा लेते आज भी इतने वर्षों के बाद किसान उसी तरह तबाही और बरबादी की हालत में घूम रहा है कभी रक्षा मंत्रालय के दरवाजे खटखटाते हैं कभी जिला मैजिस्ट्रेट के चक्कर काटते हैं और कभी लखनऊ के चक्कर लगाते हैं । सरकार जब भी किसानों की भूमि ले तो उसी कार्य के लिए ले, जिस कार्य के लिये कि दूसरा कोई विकल्प न हो, जिस तरह से कि हिण्डन एअर पोर्ट की बात थी । जब इस प्रकार की भूमि ली जाये तो किसानों के पोषण की व्यवस्था भी सरकार करे । जमीन के बदले में जमीन सरकार उन को दे दे तो और भी उपयुक्त होगा, जिससे कि वे फिर उसी प्रकार खेती का कार्य प्रारम्भ कर सकें । अगर सरकार के पास उस प्रकार की भूमि न हो तो कम से से कम उस का उचित मुआवजा उन को जरूर मिलना चाहिये ।

तीसरी बात—अभी-अभी गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में कुछ जमीन सरकार ने ली हैं श्री जगन्नाथ राव चल कर देखें, कुछ तो सेंन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने अपने क्वार्टर्स बनाने के लिये गाजियाबाद और हापुड़ के बीच में जमीन ली है, वह जमीन कितने वर्षों के बाद आज भी खाली पड़ी हुई है, जिसके ऊपर हजारों मन गल्ला पैदा किया जा सकता है । जब तक आप मकान न बनायें, या तो अपनी ओर से खेती करायें, अगर नहीं कराते हैं तो जिनकी वे जमीनें हैं, उनको कहिये कि वे खेती करते रहें । वर्षों से वह जमीन ले कर डाली हुई है और इस तरह से अन्न संकट के युग में जमीन को लेकर बेकार डाले रहना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है । ये सारी चीजें इस बात को जाहिर करती हैं कि यह सरकार बड़े अव्यावहारिक पग उठा रही है और इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri): I am in agreement with some hon. members who have brought this very pertinent point to the force that this is really an extension of the Defence of India Act under which Government can act in this matter. The Defence of India Act was an emergency measure, just as the Defence of the Realm Act prevailed in Britain during the years of the war. If these things are to be allowed to continue when we have declared that there is no emergency, I think it is a violation of the basic rights of the individual. If Government require land for public purposes, they could. I am sure, get it if they paid a competitive price.

The second thing is that this Bill delegates these very extraordinary powers to Government. It has become the custom in other advanced countries where authority is delegated in this manner to have some kind of a parliamentary committee to see that it is not misused. I have seen the Land Acquisition Act grossly misused in many places. For instance, when I was in Trivandrum, I was shown a large piece of land which was acquired by Government. But nothing is being done with the land. People have been removed from there, but the land has not been put to any use ful purpose. Several poor people have come to me and I have had to intervene on their behalf and plead with the Chief Minister of their State that something be done to get them their due. They cannot afford to go to a court of law.

This therefore being a delegated authority given by Parliament to Government to act in an extraordinary

[Shrimati Sharda Mukerjee]

fashion under extraordinary conditions there must be a parliamentary committee to see that there is no misue of it, so that people could appeal to that committee in case any injustice is caused to them. Of course, people who are rich, who can afford lawyers and so on do not have any injustice done to them. Their power is considerable. But what is the poor kisan to do?

I would also draw attention to another thing. There was a co-operative housing society of defence service officers. Obviously, the officers, who are in various parts of India, were not able to build houses there immediately. They came to me and said there was a danger of their land being acquired. So I wrote to the then Defence Minister, and assured the people concerned that I would go to the highest authority to see that their land was not acquired. This only means that justice will he meted out provided there is some influence to counteract misuese of this right.

So while I appreciate the difficulties of Government, if this Bill is enacted by Parliament, I hope Parliament will insist on a committee being set up to which any injustice can be referred by the people.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): The fundamental objection taken to this Bill is that based upon the grounds advanced by those who have supported it. They supported it by saying that this is after all only an extension of what has been done under the Defence of India Act. That is the very point of the objection.

During emergency when the DIRs were in force, several things might have been done without any examination whatsoever as to their effect on the fundamental rights of the citizens. But once the emergency is over, each case perhaps has got to be looked into, and unless this Act provides also a machinery within itself to examine all the cases of requisitioned property and the purposes for which the requisitioned property was used or not used, this Bill will go against fundamental rights.

I will try to make myself clear. Here naturally the department says that whatever has been requisitioned during the emergency period shall continue to be treated as requisitioned under this Act with effect from 10th January, 1968, but if there was no emergency could the requisition made during that period be valid with reference to fundamental rights? That is the question which has got to be looked into now, and for that purpose unless there is machinery provided under this Act, the Act will go the way of other Acts declared *ultra vires* as affecting the fundamental rights.

Many instances have been cited how property requisitioned was put to misuse. There is no question of misuse during emergency, anything done by the Government was right, but once the emergency is over, each requisition has got to be judged on its own merits. Therefore, it is very necessary that the Government should see that the land which was requisitioned during the emergency period, on which the requisition is asked to be continued, is now put to a use which will be deemed valid in a Court of law, that is to say, it can be used only for a public purpose hereafter. Buildings may have been built. If the buildings were built for public purposes and if the land was under use for public purposes, perhaps that committee or that machinery will declare it to be quite valid, but if the land was given for some other purpose during the emergency period and that purpose is not a public purpose within the meaning of the General Clauses Act or Land Acquisition Act, surely that would be in-

valid, and the land has got to be given back and proper compensation must be paid for the period for which it was under Government. This requisition starts from 10th January, 1968, and I submit that the compensation payable should be the market price as on 10th January, 1968 and not of October 1962 or 1963 when they requisitioned the property, because the new requisition starts from 10th January, 1968 and they have got to acquire it for a valid public purpose, a purpose which will be upheld as a public purpose in a Court of law. Then they can continue, in other cases they cannot, and for that I suggest that they might have a provision incorporated into this Bill providing for a committee or some machinery to go into the question whether the requisition made during the emergency was for a public purpose which can be deemed as a valid public purpose even now. Otherwise, it will lead to a lot of difficulties. That is the fundamental point of the objection. If the Government have no objection, they can meet the point, but if they want to rule with their majority, they can pass this Act and fact the consequences later on.

श्री शिव नारायन (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने में इस देश में जो एक्वीजीशन के लिये कानून बने थे वे बहुत खराब थे। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह उन कानूनों की शरण क्यों लना चाहती है ? आपने एक कमेटी बिठा रखी हैं जिसके चेयरमैन, हायस्ट एथारिटी आफ उत्तर प्रदेश, जस्टिस मुल्ला हैं । आखिर सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट आने तक इन्तजार क्यों नहीं करती हैं? श्री मुल्ला कोई इंग्लिशमैन नहीं हैं । वह हिन्दुस्तान में पैदा हुए ह । वे उत्तर प्रदेश के फर्स्ट क्लास के जज रहे हैं । हाईकोर्ट में उनका बहुत नाम था । . . . . (*व्यवधान*) ..... अफसरान यहां बैठे हंस रहे हैं लेकिन मैं हुजूर आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि लास्ट ईयर साल भर मैं गाजियाबाद जाता रहा, वहां पर आपने जो जमीन ले रखी हैं उस पर आप 20 साल तक भी मकान नहीं बना सकेंगे। डिफेंस के नाम पर नाना प्रकार की जमीनें आप ले लें और उसका मुनासिब कम्पेन्सेशन भी न दें, यह कहां का न्याय ह ? अगर सरकार डिफेन्स के लिए जमीन लेना चाहती है तो हम उसको वैलकम करते हैं, हम हर बार आपको सपोर्ट भी करते हैं लेकिन सरकार डिफेंस के नाम पर जमीन ले लेती है और कहती हैं कि यहां पर फलां कम्पनी खुलेगी. . (*व्यवधान*) . लेकिन उसको बड़े-बड़े पैसे वालों को दे देना ठीक नहीं है । अपने जिले में भी जब मैं गया था तो वहां पर भी यह चर्चा हैं कि नेबुलवा ताल की जमीन किसी बड़े कम्पनी वाले को दी जा रही हैं । पास में गाजियाबाद हैं, वहां पर आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको दिखलाता हूं कि सैंकड़ों बीघा जमीन बेकार पड़ी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही थी । इसलिये मैं कहता हूं कि आप आंख खोल कर देखिये और पैसे वालों के चक्कर में न पड़िये ।

योगाश्रम की बात मैंने यहां पर सुनी । . . . (*व्यवधान*) . . . आप सुनिये, ये पंडित हैं, चमार जवाब दे रहा है । योगाश्रम कहां खुल रहा है ? गोल डाकखाने में । योगाश्रम को हिमालय की कंदराओं में खुलना चाहिए, नैनाताल की कन्दराओं में खुलना चाहिए, न कि सिनेमा हाउसेस के पास या कनाट प्लेस के पास जहां कि नग्न चित्र लगे हुए है । इंडियन पीनल कोड के ऊपर जो प्रवर समिति बनी है मैं उसका मैम्बर हूं । उसमें हम इन चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं । अपने देश की परम्पराओं को हमें नहीं भुलाना है । मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाहता हूं कि डिफेंस के लिए अगर आपको जरूरत है तो मिलिट्री को गाजियाबाद में भी रखा जा सकता है, यह कोई जरूरी नहीं है कि उसको दिल्ली में ही रखा जाये । उसको आप मेरठ की छावनी के पास भी रख सकते हैं । वहां पर वह ज्यादा सुरक्षित भी रहेगी क्योंकि पाकिस्तान से जितना

(श्री शिव नारायण)

दूर रखने उतना ही अच्छा होगा ताकि वहां तक पाकिस्तान का हैलीकोप्टर पहुंच न सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल ही हमने इस सरकार को एक हंगामे से बचाया है और हम आगे भी बचायेंगे लेकिन इसके साथ ही हमारा यह धर्म भी है कि हम साफ साफ कह दें कि यह दूध है और यह पानी है, फिर चाहे सरकार उसको देखे या न देखे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस बिल को पोस्टपोन करे जब तक कि मुल्ला साहब की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अगर वाकई बहुत जरूरत हैं तो ले लीजिए लेकिन जरूरी है नहीं, ऐसा हम समझते हैं क्योंकि अगर वाकई जरूरत होती तो पहले की ली हुई जमीनें आज खाली न पड़ी होतीं। फरीदाबाद में फरजी नाम पर जमीनें एलाटेड हैं। हमने कमेटी में इसकी जांच भी की थी। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सब घपला नहीं होना चाहिये, क्लियर पिक्चर सामने आनी चाहिए। मैं ने कल भी सरकार से कहा था कि कलेजे पर हाथ रख कर सही पिक्चर देश को दो और आनेस्टली दो और देश का सही इन्तजाम करो, तभी हम भी आपके साथ हैं और अगर घपला करेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) उपाध्यक्ष महोदय, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968 के सिलसिले में मुझे भी दो तीन बातें आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करनी हैं। जमीन का अर्जन करते समय सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि इसकी सार्वजनिक आवश्यकता है, इसीलिए जमीन चाहिए। जब सरकार जमीन लेती हैं तो उसके बाद सरकार को देखना चाहिए कि उस जमीन का उपयोग हो रहा है या वह जमीन बेकार पड़ी है। लेकिन इस बात की चिन्ता यह सरकार या इसके अधिकारी करते नहीं। मिसाल के तौर पर मैं दो तीन बातें इस सिलसिले में कहना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के बबीना नामक जगह पर लड़ाई के जमाने में फायर रेंज के लिए हजार एकड़ जमीन ली गई लेकिन यह जमीन बेकार पड़ी हुई है और आजतक किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। पहला नमूना तो यह है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पश्चिमी बंगाल में फरक्का बांध बन रहा है। उस के लिए उस के बगल में बिहार प्रदेश का जो भागलपुर जिला है वहां के 50,000 किसानों की जमीन ले ली गई लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही साथ वह लोग दर-दर के भिखारी बने हुए हैं। उन्हें बसाने की भी व्यवस्था नहीं की गई है।

तीसरी बात मैं अपने पटना जिले के दानापुर कैंट, जहां मिलीटरी एरिया है उस के बगल में एक गांव है, मुहल्ला है, मुबारकपुर उसका नाम है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वहां किसानों से जमीन ली। जून 1964 को ली गई। उसे लिये चार साल से ज्यादा हो गये हैं लेकिन अभी तक उन्हें मुआविजा नहीं दिया गया है। वहां से लोग जब लिखते हैं तो जवाब तक नहीं दिया जाता है। मैं ने इस सदन में दो बार प्रश्न किये लेकिन उस का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है और न ही अभी तक उन्हें मुआविजा दे दिया गया है। सरकार यह जरूर कहती है कि हमें मार्केट रेट पर मुआविजा देना चाहिए लेकिन दरअसल होता क्या है। अभी कुछ दिन पहले बरौनी में खाद के कारखाने के लिए जमीन ली जा रही थी। सरकार कहती थी कि हम 7000 रुपये से ज्यादा मुआविजा नहीं देंगे। उस का मार्केट रेट 17,000 था और वह उसे देने को तैयार नहीं थी। आखिर लड़ते, झगड़ते

15,000 रुपये पर मामला तय हुआ । देने के पहले हमारे रसायन मंत्री श्री अशोक मेहता ने धमकी दी थी कि अगर किसान लोग अपनी जमीनें नहीं देंगे तो हम कराखाने को उठाकर राज्य से बाहर दूसरी जगह पर ले जायेंगे । इसी तरह की धमकी अभी शाहाबाद जिले में जहां अम्झोर नामक स्थान पर पाय-राइट्स ऐंड कैमिकल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन है, गंधक की खान है, वहां उस की तरफ से जमीन ऐक्वायर करने और कारखाना बनाने की बात की जा रही है, दी जा रही है । वहां की सरकार कहती है कि हम 500 रुपये एकड़ से ज्यादा दाम नहीं देंगे । क्या आज कहीं भी 500 रुपये एकड़ जमीन के दाम हैं ? वैसे सरकार कहती जरूर है कि मुआविजा मार्केट रेट से दिया जाना चाहिए लेकिन क्या मार्केट रेट वहां 500F ही है ? वहां पर उस के आस पास 10,000 रुपया बीघा मार्केट रेट है लेकिन आप वह देना नहीं चाहते हैं । जब किसान वहां आन्दोलन करते हैं तो आप कहते हैं कि हम उस को उठा कर दिल्ली के नजदीक ले जायेंगे । यह धमकी भी उन्हें दी जाती है। क्या बिहार वालों को आप ने इतना कमजोर समझा है कि जब चाहे उन्हें आप धमकी दे दें ? उन को सही मुआविजा नहीं दिया । मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें मुआविजा सचमुच में जो मार्केट रेट हो वही उन्हें दिया जाये ।

एक दूसरी कठिनाई यह होती है कि मुआविजा उन्हें सालहा साल नहीं मिलता है । इसलिए कानून में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मुआविजा अदा करने की कोई एक अवधि निर्धारित हो जाये अर्थात् एक महीने, दो महीने, तीन महीने यानी इतने दिनों के अन्दर हम मुआविजा उन्हें दे देंगे ।

इसके अलावा आप को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप के इस कानून में घूसखोरी खूब चलती है । अफसर लोग दिन रात घूसखोरी करते रहते हैं । अच्छी जमीन को वह ले लेते हैं और रद्दी जमीन वालों से घूस लेकर छोड़ देते हैं । इसलिए यह घूसखोरी रोकने की भी व्यवस्था आप के कानून में होनी चाहिए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । जमीन आप जरूरत महसूस होने पर लेते हैं और जब उसे लेना बहुत आवश्यक हो तो उसे लेना भी चाहिए लेकिन जमीन किस तरीके की लेनी चाहिए । पहले कोशिश यह होनी चाहिए कि उपजाऊ जमीन न लें । लेकिन आप अक्सर उपजाऊ जमीन ले लेते हैं । एक तरफ आप नारा देते हैं कि हम उपज बढ़ाना चाहते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और कल भी हम लोगों ने बहस की कि हर मामले में हमें देश को अत्मिनिर्भर बनाना चाहिए और यह बात है भी बिलकुल सही, लेकिन क्या आत्मनिर्भर करने का यही तरीका है कि उपजाऊ जमीन का अर्जन सरकार कर ले और वह वर्षों तक बेकार पड़ी रहे और उधर झोली लेकर हमारे प्रधान मंत्री और देश के नेता लोग अमरीका के जानसन साहब के सामने साष्टांग दंडवत कर प्रार्थना करें कि हम को दान दीजिये ? इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिएं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अगर जमीन को लेते हैं तो अब से उपजाऊ जमीन को न लें । जो कम उपजाऊ जमीन हो पहले उसे लेने की कोशिश कीजिये । जमीन जब लीजिये तो वाजिब मुआविजा दीजिये और वह मुआविजा उन्हें समय पर दीजिये । घूसखोरी को रोकिये । जब तक यह काम नहीं किया जायेगा तब तक काम नहीं चलेगा । अभी तक जितनी जगह भी आपने जमीन ली है वर्षों से आप ने उस का मुआविजा किसानों को नहीं दिया है । चाहे वे किसान शाहाबाद जिले के हों, चाहे वे किसान हमारे दानापुर कैंट के बगल के मुबारकपुर गांव के हों, चाहे वह झांसी के बबीना नामक गांव के हों या देश के मुख्तलिफ स्थानों के हों । आप ऐसे तमाम किसानों को जल्दी मुआविजा देने की व्यवस्था कीजिये तभी आप का यह विधेयक पूर्ण होगा वरना पूर्ण नहीं होगा ।

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Bill before the House authorises the Government to use the power they had during the continuance of the Defence of India Rules in the matter of requisitioning and acquisition of land. While keeping these powers intact for themselves I suggest that they may review what had happened to the lands they had acquired or requisitioned under the Defence of India Rules, how long those lands have been kept requisitioned and given up or not given up even when required to do so, leading to loss of Government money and loss in the production in these lands.

Sir, I am myself concerned with certain areas which fall in my own constituency within the Darjeeling District. They were acquired for military purposes. These lands have been lying fallow. The farmers are there and these are very fertile lands. If allowed to be cultivated they can help us with a lot of production of food. In fact, I had drawn the attention of the Food Minister to the waste that we are suffering because lands are not allowed to be cultivated. The farmers are so much ready to sacrifice that they would accept Government's authorisation to use these lands for production of food even at the risk of losing that if the Government takes up these lands immediately after for some of its purposes. In fact, lands are not being utilised at all and there is no knowing when these lands will be utilised.

I may refer to another instance. It does not concern the Government of India but it is another matter. In the North Bengal University more than 400 acres of land had been acquired. The Vice Chancellor himself told me that he does not know when the land will be utilised because it will require a lot of money to build upon. In fact, he himself brought in agriculturists on some of these lands and the production was so much that the entire university staff had their year's requirements from the production on the land within the university itself.

These are some instances to show how lands have been requisitioned and not put to any use leading to monetary loss to the Government and also loss of foodgrain to the society. The Public Accounts Committee had occasion to take note of this in the matter of certain lands in Bombay and they had to say:

> "The period of over 18 years (commencing from June, 1948), taken in derequisitioning the 33 acres of the land now proposed to be released, which have not been put to any use in the meantime, has resulted in an unproductive expenditure of Rs. 1.92 lakhs by way of recurring rent charges."

Land was requisitioned, not used, not released and kept like that for 18 years leading to a loss by way of recurring rent charges to the tune of Rs. 1.92 lakhs. That is why the Committee confidently observed:

> "The Committee would also like to stress on Government the need for exercising every care to see that land is requisitioned or acquired only after the most careful consideration of requirements so that it does not remain unutilised for long periods after acquisition."

I want to bring this remark of the Committee to the notice of Government.

SOME HON. MEMEBERS *rose*—

15 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Quite a number of hon. Members have participated in the discussion and I have already extended the time by one hour. I am sorry, I cannot extend it any further. It is not possible. I will give opportunity to a few more hon. Members during the clause-by-clause consideration.

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to the hon. Members who have taken part in this debate. Two points have been pressed from all sides of the House—firstly, the need to extend this law and, secondly, those lands which have been requisitioned under the emergency provisions should be released immediately, and that this Bill should be withdrawn and a comprehensive Bill be introduced after the recommendation of the committee of Shri Mulla, an hon. Member of this House, is accepted. While moving for consideration of this Bill yesterday, I pointed out the need to introduce this legislation. Some lands were requisitioned under the Defence of India Act, 1962 and the rules made thereunder for certain specific public purpose and some buildings or structures have been put up thereon. On the revocation of the emergency the Defence of India Act came to an end on the 10th January though it must be deemed to have been continued for six more months which period also expired on the 10th July 1968. Before the expiry of this date a Bill was introduced in this House on the 10th May 1968 for continuance of the requisition of properties as if they were requisitioned under this Act of 1952. But the Bill could not be passed and the six month period would have expired by the 10th of July. So, an Ordinance was issued on the 10th July 1968 and this Bill now seeks to replace the Ordinance. The provisions of the Ordinance are on the same lines as the Bill originally introduced in the House.

I quite appreciate the point raised by hon. Members that requisitioning of properties which are valuable to the citizens should be done by government after due and careful consideration. It should be so. As I mentioned yesterday while moving this motion about 65,960 acres of land and 286 flats are still on requisition by the Ministry of Defence alone. Therefore, though the emergency has been lifted, it is not possible to straightway hand over these properties to the respective owners because some structures and some installations have been put on the land. The only alternative would be to acquire these properties, if they are indefinitely required by the government. But the acquisition would take a long time. Further, what is the amount involved? It would come to Rs. 35 crores. So, there must be some breathing time for the government to consider these aspects.

In the mean while, how can I hold on to the requisitioned property unless and until I have legal authority to do so? I must have some authority by law to requisition the property. The Defence of India Act 1962, the law on the subject, having expired on the 10th July 1968, including the six-month period, I have to have some authority to hold on to the property already requisitioned. That is why this Bill is necessary.

Here I would like to dispel the misapprehensions in the minds of the hon. Members. I am not trying to perpetuate the Requisitioning and acquisition of Property Act, 1952. That Act would come to an end by efflux of time on the 13th March 1970.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई–दक्षिण): पहले केवल छः साल के लिये बना था, फिर उस को छः साल के लिये और बढ़ाया गया, अब आप उस को साठ साल करेंगे ।

SHI JAGANATH RAO: It was being extended from time to time. The hon. Member is new to this House.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : वह 1970 में खत्म नहीं हो जायेगा, वह 2070 तक चलेगा ।

SHRI JAGANATH RAO: Please listen to me. This Act will come to an end by efflux of time on the 13th March 1970. Therefore, those properties which have been requisitioned and which are now deemed to be requisitioned under this Act will continue to be so only up to 13th March

[Shri Jaganath Rao]

1970 and not thereafter. In the mean while, I hope the report of the Mulla Committee would be available. I can assure the House that the government would take immediate steps to implement those recommendations and bring about a comprehensive law, both an amending and consolidating law, in the matter of requisitioning and acquisition.

One more point was made out about payment of compensation. Section 8(3)(b) of the 1952 Act says that the compensation shall be either the market value payable to the land or the building on the date of requisitioning or, under clause (b), twice the market value, whichever is less.

This clause (b) was struck down by the Supreme Court as being violative of Article 31(2) of the Constitution. Now I am trying to delete that clause (b) because I want to fall in line with the judgement of the Supreme Court. Now the compensation will be payable under clause (a), which means the market value on the particular day, the day of requisitioning

Secondly, I may point out that Government will not hold on indefinitely to the property which has been requisitioned. The policy of the Government has been to progressively derequisition the properties which had once been requisitioned. As the purpose for which the property had been requisitioned ceases to exist, derequisitioning is being done and that is being done in a phased manner.

There are 285 private requisitioned houses in Delhi, Bombay and Calcutta and 262 leased houses in these three cities. Since April 1967, 76 units have been released—37 in Delhi, 33 in Bombay and 6 in Calcutta—resulting in a saving of over Rs. 6 lakhs *per annum*. I myself feel very unhappy to hold on to property which has been requisitioned thereby depriving a citizen of his right to enjoy his property and to put it to the maximum use he is entitled to. So, we are derequisitioning the properties. It is not the purpose of Government to hold on to properties requisitioned at a time when it was found necessary to do so and, at the same time, deprive the person to enjoy his property.

SHRI RANGA (Srikakulam): That is the reason why the suggestion has been made that you hold an inquiry and study it.

SHRI JAGANATH RAO: On the question of the inquiry suggested by Shri Viswanatham, there is no need for it because the remedy of inforcement of fundamental rights has been restored. If a person feels that the property requisitioned for a public purpose is used for a different purpose, it is open to him to go to the court.

SHRI RANGA: It is too costly and too long a procedure.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: What I suggested was that the Bill itself should provide for a machinery, either by amending the provisions or by rules under the rule-making power, which will review the requisitions done so far instead of leaving it to every individual who may or may not be in a position to approach the Government for reviewing what has been done. The other suggestion is that that committee should also be a watchdog in the future. If the Minister is confident of his position—he is shaking his head— he can face the Supreme Court.

SHRI JAGANATH RAO: I am confident my position. Therefore I am not agreeing to your suggestion.

SHRI RANGA: What Shri Desai suggested was not a committee. They need not appoint a committee. It is for the Government to review. Would the Government be prepared to review all those cases?

SHRI JAGANATH RAO: We will review the cases. I have said that properties which are not required will be derequisitioned.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: What the Minister said was that if an application is made, he will review the case.

SHRI JAGANATH RAO: *Suo motu* we will review it.

There is one point which has been referred to by three or four hon. Members and which is highly irrelevant to this issue. That is about the *yogashram*. It is not necessary to reply to him but since it has been raised it is my duty to reply. Alexandra Place is not in a requisitioned property; it is a property belonging to Government. It is not given to the yogi as yet. Unnecessarily and unfortunately the name of the Prime Minister has been dragged in. She is not interested in the *yogashram*. I am competent to give on lease Government land to any person for a proper purpose. Shri Gupta raised this but this is not relevant to this. I can assure the House that nothing will be done in violation of the master plan of Delhi.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जो खाली जमीनों के लिये कहा गया था उस के बारे में क्या हुआ ? या तो खाली जमीनों में आप खेती करें या फिर किसानों को उन पर खेती करने दें ।

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURY (Krishnagar): May I seek a clarification? The hon. Minister just now said that some of the houses in certain places have been derequisitioned. I could realise that they may have done that, but what about some of the lands? You have said in your own explanation that they will be deemed to have been requisitioned from 1952. It happens that in my own constituency there are lands which are yet under requisition and those people cannot cultivate them. They lie fallow. Even their rent is not taken. Although they sometimes go and cultivate that land and do get the crop a little bit, they are dead scared that any time they will be driven out. So, what happens to this kind of injustice? Perhaps it has not been brought to the Government's notice. I myself have tackled this case with the Magistrate in Nadia, in Dhubulia camp. There are huge tracts of land, something like 200 to 300 acres. That is the land requisitioned under the Defence of India Rules. I have taken it to the Magistrate. Sometimes a little here and there has been done. As my hon. friend has pointed out, when we take it up, it is done. But what is to ensure that those poor *kisans* get their rights when the land is lying fallow and their livelihood is lost? They do not know what their position is and what will happen to them afterwards. So I would request that there be a Committee of Parliament to look into this kind of thing in every case.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, be taken into consideration.".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the clauses.

There is no amendment to clause 2. So, I shall put it to vote now.

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(*Insertion of new section 25*).

SHRI JAGANATH RAO: I beg to move:

Page 2, lines 25 and 6

'after the said dated'—*substitute* 'as from the said date'. (1).

[Shri Jagannath Rao]

This is only a drafting amendment to clear any doubt that may come in.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This amendment is now before the House.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस काम को संकटकालीन परिस्थिति के कारण किया जा चुका है उस को अब संकटकालीन परिस्थिति न रहने के बावजूद भी हमेशा के लिये चलाने का अधिकार मंत्री महोदय अपने हाथ में लेना चाहते हैं ।

15.12 hrs.

[SHRIMATI TARKESHWARI SINHA *in the Chair*]

सभानेत्री महोदया, आप को मालूम होगा कि रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी एक्ट 1952 का जो है वह असल में बनाया तो सिर्फ छः साल के लिए गया था लेकिन 1958 में फिर उस में तरमीम कर के उस की मियाद को और छः साल के लिए बढ़ा दिया गया । 1963 में फिर उस में तरमीम कर दी गई और उस को 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया ; अब उस कानून को खत्म होने में दो साल बाकी हैं । इस कानून के सैक्शन 3 में यह कहा गया था :

> "Where the competent authority is of the opinion that any property is needed or likely to be needed for any public purpose, being a purpose of the union . . ."

किसी भी सार्वजनिक काम के लिये जो केन्द्रीय सरकार का काम हो, केन्द्रीय सरकार जमीन या जायदाद को एक्वायर कर सकती है, रिक्विजिशन कर सकती है । संकटकालीन परिस्थिति में आप ने काफी जमीन को एक्वायर और रिक्विजीशन किया और कई तरीकों से किया । बम्बई का मैं उदाहरण आप को देता हूं । कई मकान मिलिटरी वालों के लिए या नेवी वालों के लिए रिक्विजिशन किये गये । इन को रिक्विजिशन करने का काम सरकार ने डिफेंस आफ इंडिया एक्ट का इस्तेमाल करके किया था । अब इस कानून को नए ढंग से पेश कर के यह बताया जा रहा है कि जो जमीन या जो मकान हम लोगों ने डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के तहत लिये उन के बारे में कोई भी एक अंतिम फैसला तत्काल लेना बहुत मुश्किल है, इस वास्ते पुराने कानून के अन्तर्गत उन को जोड़ देना बहुत ही आवश्यक हो गया है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय असल में सरकार के जो खयालात हैं इस मसले पर उन को यहां पर पेश नहीं कर रहे हैं ।

यहां पर माननीय सोमानी साहब बैठे हुए हैं । वह आप को एक घटना बतायेंगे । कुछ समय हुआ बम्बई में धनराज महल जो ताजमहल होटल की बगल में और गेटवे आफ इंडिया के पास है, में पचास फ्लैट्स डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के अन्तगत डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक्वायर किये गये थे और उन को नेवी के बड़े अफसरों को रहने के लिए दिया गया था । चूंकि यह जगह बन्दरगाह के नजदीक है, इस वास्ते इन फ्लैट्स को रिक्विजिशन किया गया था । किराये भी इन के बहुत अधिक नहीं हैं चूंकि पुरानी लड़ाई के पहले के ये फ्लैट्स हैं । इस वास्ते कम किराये में ये मकान और फ्लैट्स बम्बई में चलते हैं । चूंकि इन फ्लैट्स का किराया बहुत कम है इसलिए एक एक फ्लैट दो दो लाख रुपये के प्रीमियम पर चलते हैं । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । सभी जानते हैं कि इन फ्लैट्स को लेने के लिये पगड़ी देनी पड़ती है । आप बम्बई में किसी को भी टेलीफोन कर के इस के बारे में पता लगा सकते हैं । आप को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन पचास फ्लैट्स को डीरिक्विजिशन कर दिया है और इस का नतीजा यह हुआ है कि नेवी के जो अफसर थे उन को वहां से हटा दिया गया और उन को सड़कों पर जाना पड़ा । वे कोई मामूली अफसर नहीं थे । बड़े अफसर थे,

जिम्मेदार लोग थे। उन लोगों ने जब इसके बारे में सरकार के सामने कुछ निवेदन किया तब डिफेंस मिनिस्टर साहब इसके बारे में सोमानी साहब को क्या लिखते हैं इसको आप देखें। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने जीवनकाल में राजा धनराज गीर को एक आश्वासन दिया था कि जब संकटकालीन परिस्थिति समाप्त हो जाएगी तब आपके फ्लैट्स को हम डीरिक्विजिशन कर देंगे। यानी जो आरोप हम यहां पर बहस के दौरान लगाते हैं या जो अब लगाये गये हैं वे सत्य सिद्ध हुए हैं। यानी जिनका यहां पर कोई वसीला हो वे लोग जो चीज चाहें करवा सकते हैं। किसानों की भी यहां पर काफी माननीय सदस्यों ने बातें बतलाई हैं। किसानों की जमीनें एक्वायर की जाती हैं लेकिन उनके बारे में कोई निर्णय तक नहीं लिया जाता है, उनको कम्पेन्सेशन तक नहीं दिया जाता है। उनकी जमीन का इस्तेमाल कोई किया गया हो या न किया गया हो, लेकिन आपने उन जमीनों को अपने अधिकार में करके रख छोड़ा है और हमेशा के लिए आपके हाथ में वे रहेंगी लेकिन जिनका वसीला होता है या जिनकी जवाहरलाल नेहरू जी तक पहुंच हुआ करती थी या जिनकी आज उनकी बेटी तक पहुंच है, या जिन की किसी भी मंत्री तक पहुंच है, वे जो चाहें करवा सकते हैं, वे अपने मकानों या अपने फ्लैट्स को डीरिक्विजिशन करवा सकते हैं, उन के मकान उन को तत्काल वापिस मिल जाते हैं। फिर चाहे डिफेंस फोर्सिस में काम करने वाले अफसरों को, आर्मी में, नेवी में या एयर फोर्स में काम करने वाले अफसरों तक को सड़क पर ही क्यों न जाना पड़े। उन के बारे में आप को कोई तकलीफ नहीं होती है। उन की बात पूछने वाला कोई नहीं होता है।

इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दो तरह की नीति चलाई जाती है—जिनकी पहुंच है उनके बारे में तो एक नीति और जिस की पहुंच नहीं है उनके बारे में दूसरी नीति—यह बन्द होनी चाहिये। आपने कमेटी बनाई है। उस कमेटी के सामने यह सारी चीज जाये, इस सारे मसले को पेश किया जाए। मुल्ला कमेटी में इस सारे मसले पर बहस होने वाली हो तो फिर वहां यह की जाए। लेकिन एकाएक आज आप को यह विधेयक लेकर तो नहीं आ जाना चाहिये था। मंत्री महोदय ने कहा है कि छः महीने की मुद्दत पूरी हो गई है और तत्काल पच्चीस करोड़ रुपया वहां से वह लायें, उनके सामने कुछ दिक्कतें हैं और इस वास्ते उनको यह कानून चाहिये। अगर वाकई में यह बात है तो आपको चाहिये था कि आप इस किस्म का कानून लाते जिस में छः महीने के लिए इस की अवधि बढ़ाने का कुछ काम होता। यह कहना कि आज जो कानून है वह 1970 में खत्म होने जा रहा है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। यह कानून चलने वाला है। इस सदन की अवधि समाप्त होने के बाद भी यह चलने वाला है। अठारह साल तो इसको चलते हुए हो गए हैं। शुरू-शुरू में आपने छः साल के लिये इस कानून को बनाया था। आज सोलह साल से यह जरूरी आ रहा है। मैं समझता हूं कि यह 1970 में समाप्त होने वाला नहीं है बल्कि यह पचास-साठ साल चलने वाला है और उसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कानून को वापिस ले लिया जाये।

जो भी अधिकार आपको चाहियें उन को लेने के लिये आप को एक नया कानून लाना चाहिये।

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): I have often said in this House that this Government is functioning in isolation and without any coordination between one Ministry and another. The one instance that is once again being brought forward before the Government of India is the obvious anomaly between what is happening in two different Ministries. This Ministry is

[Shri N. K. Somani]

bringing forward legislation to acquire property and then establish the market rate and also provides itself for a payment whenever it thinks it suitable to make it. At the same time, I have had it in writing from the hon. Defence Minister of the Government of India, that is, of the same Government, that it is the policy of the Government of India now to derequisition and de-hire the entire property that has been requisitioned not only under the last Act but under the Act of 1939. This was the context in which the hon. Member, Shri George Fernandes, brought it to your notice. This was the reason why I approached the Minister. I was curious as to why a whole block of 50 valuable flats occupied since 1939 by a very crucial section of our Navy were being got vacated overnight. The answer I got from this Government is, they do not need any acquisition, they do not need any property, because a lot of property is available and going abegging in Bombay, Calcutta, Delhi and Madrss.t At the same time, it is obvious that these powers and necessities do not arise at all. All the same, in the same stroke and in the same session, we have another Ministry which wants to bring forward a Bill to further acquire and requisition property and to perpetuate this anomaly.

I would, therefore, like to have a clarification as to whether it is the Defence Ministry's domain which has set this policy of de-hiring, de-requisitioning and handing over property to public or whether it is this Ministry's policy to keep on acquiring property at the same time. I hope the Minister will clarify it.

SHRI JAGANATH RAO: Sir, I have already replied to the general points made during the debate. Mr. Somani has raised the point that properties were requisitioned under the Defence of India Act and that they have not been de-requisitioned so far. As regards Dhanraj Mahal flats, 2 floors have now been de-requisitioned. My Ministry had given to the Defence Ministry some flats for the Naval officers and they have been asked to vacate them.

SHRI N. K. Somani: Why? What is your policy in this matter?

SHRI JAGANATH RAO: There are 4 floors. We have de-requisitioned 2 floors and 2 more floors will be de-requisitioned later on. We have to do it in a phased manner. It cannot be done straightway. There is a policy of requisitioning and de-requisitioning of property. It is being done in a phased manner.

श्री रवि राय (पुरी) : धनी और प्रभावशाली आदमियों की बात सरकार मान लेती है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सरकार एक जेनेरल रिव्यू क्यों नहीं करना चाहती है ? जो पैसे वाले हैं, वह उनकी बात मान लेगी ।

MR. CHAIRMAN: Now, I put Government Amendment No. 1 to Clause 3 to the vote of the House. The question is:

Page 2, lines 25 and 26,—

for "after the said date" *substitute*—

"as from the said date". (1)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That Clause 3, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

New Clause—4.

SHRI JAGANATH RAO: I move:

"Page 3,—

after line 9, insert—

4. (1) Repeal and saving.—The Requisitioning and Acquisi-

tion of Immovable Property (Amendment) Ordinance, 1968, is hereby repealed.

Ord. 4 of 1968.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act." (2).

MR. CHAIRMAN: This is Clause 4 (New). Now, I put it to the vote of the House. The question is:

"Page 3,—

after line 9, insert—

4. (1) The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Ordinance, 1968, is hereby repealed.

Repeal and saving. Ord. 4 of 1968.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act." (2).

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That new Clause 4 be added to the Bill."

The motion was adopted.

New Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANATH RAO: I move:

"That the Bill, as amended, be passed"

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill, as amended be passed."

श्री एम० एम० जोशी : सभापति महोदय, मैं थर्ड रीडिंग के समय इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जो अख्त्यारात हुकूमत चाहती है, जहां वे जरूरी हैं, वे हम देने के लिये तैयार हैं । इस सम्बन्ध में जो कमेटी नियुक्त है, जब तक उसकी रपट नहीं आती है, अगर तक तब हमने इस की वैलिडिटी रखनी है, तो हम छः महीने का एक्सटेंशन देने के लिये तैयार हैं । मगर इसको जो 1970 तक कायम रखा जा रहा है, उस का हम विरोध करते हैं । अगर सरकार ने उस की वैलिडिटी रखनी है, तो कोई जरूरत नहीं है कि वह कानून का हिस्सा बन कर रहे और 1970 तक रहे । कमेटी की जो सिफारिशें आयेंगी, उनकी रोशनी में हमको जो कुछ करना है, वह फौरन करना चाहिए । अगर हमने इस समय उचित व्यवस्था नहीं की, तो कमेटी की रपट पड़ी रहेगी और उसका कुछ नहीं होगा । अगर हमने छः महीने की एक्सटेंशन दे दी, तो उस कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा होगी और सरकार को फौरन लेजिसलेशन लाना पड़ेगा ।

इसलिए मेरी मांग है कि यह कानून पास न किया जाये । अगर सरकार चाहती है कि इसकी मुद्दत छः महीने के लिये बढ़ा दी जाये, तो हम उसके लिये राजी हैं ।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): As far as I can make out, one particular point has not been emphasized and that is that the Bill gives discretion to the Government to favour those who satisfy it and to punish those who ignore it. We have had a large spectrum of instances provided not only from this side but also from that side where requisition continues without anything being done by the authorities approached. The new Member of this House, Shrimati Ila Palchaudhury, has given an instance where, even on her representation, a particular plot of land has not been de-requisitioned and at the same time it continues to be put to no use. The point is that some of

[Shri Lobo Prabhu]

these instances may be accidental but the others may be purposive. We had Mr. George Fernandes mentioning that Rs. 2 crores . . .

AN HON. MEMBER: One crore.

SHRI LOBO PRABHU: I thought that S. S. P. was inclined to overestimate.... (*Interruptions*). He was mentioning that Rs. 1 crore could be made. Now the question is not only in respect of that particular building, but it is a question in respect of the total area, the total number of houses, the total number of fields which are under acquisition. Has every one to go and approach the Prime Minister or the Minister of Works, Housing and Supply?

I think, the S.S.P. has made a very sensible suggestion. I do not say that they do it very often, but they have done it this time. This particular provision may be restricted to six months. Within that period, it should be up to you to decide which areas you want to acquire, which houses you want to buy, and after that, the Act should cease to be effective. If you can give in to this particular Amendment, it will satisfy the sense of the House not only on this side but also on that side; you will also satisfy the sense of the country, not only in respect of the poor but also in respect of the rich, the represented by Mr. Somani and the poor represented by Mr. Fernades.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि अब सरकार की नीति डीरिक्विजिशन की है । लेकिन जैसा कि अभी मेरे से पहले वक्ता महोदय ने कहा जब आप डिरिक्विजिशन करेंगे तो यह हो सकता है कि कुछ लोगों का फेवर कर दिया जाये और कुछ लोगों को तकलीफ हो जाये । एक तो उदाहरण डि-रिक्विजिशन का सोमानी जी ने और जार्ज फर्नेन्डीज ने दिया । उस को किस तरीके से एक्वायर किया गया एक प्लाट एक ब्रह्मचारी जी के लिए वह बताया था । तो यह एक फेवरिज्म हो सकता है कि जो लोग कुर्सी के नजदीक हैं, और जिनका कुर्सी के ऊपर प्रभाव है वह अपने पैसे के प्रभाव से, सबंध के प्रभाव से, अपनी चीज छुड़वा सकते हैं सरकार से या जिनका प्रभाव नहीं है उनको न्याय न मिले । तो मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाने चाहिएं । जब आप की पालिसी डीरिक्विजिशन की है तो कुछ सिद्धान्त या नियम ऐसे बनाने चाहियें कि किन किन प्रापर्टीज को आपको डी-रिक्विजिशन करना है और वह सिद्धान्त बना करके आप फिर सर्वे करें . . . .

श्री शिव नारायण (बस्ती) : बताते चलिए न कि ऐसा ऐसा होना चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : जैसे मैं बताता हूं आपको कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक ही मकान है और सरकार ने उसका मकान एक्वायर कर लिया । उसके पास कोई और मकान नहीं है और वह कहे कि मुझे रहने के लिए मकान चाहिए तो आप उसको छोड़ देंगे । यह तो ठीक है शिवनारायण जी ।

सभापति महोदया : आप मुझे कहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपके जरिए उनसे कहना चाहता हूं । मेरी कोई इरादा आपको इग्नोर करने का नहीं है ।

दूसरी चीज, अगर इसी प्रकार से कोई पैसे वाला व्यक्ति है जिसके बहुत सारे मकान हैं और सरकार के पास उस के और भी कुछ मकान रिक्वीजिशन्ड हैं तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है उसको छोड़ने की । इस प्रकार के कुछ और भी सिद्धान्त बनाए जा सकते हैं । किसी का परिवार बड़ा हो गया हो, कोई गरीब हो, कोई रिटायर्ड आफिसर हो, इस तरह के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए । तो मेरा सुझाव यही है कि आप कोई सिद्धान्त,

कोई नियम बनाइये, और वह नियम बना कर के जो जो प्रापर्टी आपके पास है उस का सर्वे करके इस सदन के सामने छः महीने में यह रिपोर्ट दीजिए कि यह-यह सिद्धान्त हम ने बनाए हैं.... (व्यवधान) ... सरदार जी, अभी से नाराज होने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां तो पकड़ में आते हैं। वह जो फेवर होता है, वह फिर नहीं कर पायगे। (व्यवधान) ...अगर सरकार के नियम छोटे बड़े सब के लिए एक हैं तो मेरे सुझाव को आप क्यों मान लेना चाहिए और छः महीने के बाद इस सदन के सामने आ कर आप रिपोर्ट दीजिए कि यह-यह सिद्धान्त हम ने बनाए थे और इस सिद्धान्त के मुताबिक यह-यह प्रापर्टी हमने छोड़ दी। इसी प्रकार से एक्वायर करने के भी सिद्धान्त बनाने चाहियें कि कौन सी जमीन एक्वायर करें और किस परपज के लिये करें। पब्लिक परपज जो है वह बहुत वेग है। जैसे मैं ने उदाहरण दिया था, एक ब्रह्मचारी का उदाहरण दिया ....

निर्माण, आवास तथा पूर्ती मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : वह गलत है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपको चेलेंज करने के लिए तैयार हूं। मैं ने एक दो बात कही थीं कि प्राइम मिनिस्टर के पी० ए० ने आप को चिट्ठी लिखी है कि इसको जल्दी कीजिए। (व्यवधान) चह्वाण साहब को भी मालूम है यह किस्सा। स्वयं प्रधान मंत्री को मालूम है अलेग्जेंडर पैलेस का यह किस्सा। .... (व्यवधान) ... आप यह विश्वास दिलाइए कि वह हटाये नहीं जायेंगे और आइन्दा जो कोई भी जमीन एक्वायर की जाएगी वह कुछ सिद्धान्त पर की जाएगी। कौन सा पब्लिक परपज है उस के लिए कुछ सिद्धान्त होना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री महोदय कि यह दो सुझाव हैं इनको मान लें।

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : सभापति महोदया जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सरकार जो जमीन एक्वायर करती है वह बेकार पड़ी रहती है और ज्यादातर उस का इस्तेमाल नहीं होता। कई सबूत इस के यहां दिए गए। तो मैं मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल को वापस ले और जब तक जो मुल्ला साहब की कमेटी बैठी हुई है वह अपनी रिपोर्ट न दे दे तब तक इसको पास न करें।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आश्रम के लिये जहां आप एक्वायर करते हैं, बड़े-बड़े मिल ओनर्स की मिलों के लिए जमीन एक्वायर करते हैं। दूसरी तरफ आदिवासी उजाड़े जा रहे हैं। जहां-जहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहां-वहां गरीबों को उजाड़ दिया जाता है खास कर हमारे उत्तर प्रदेश में गरीब लोग बेदखल किये जा रहे हैं। साथ ही बहुत बड़ी तादाद हरिजनों की इस देश में है जहां उनको बसने के लिये जमीन नहीं है उत्तर प्रदेश में तो यह हाल है कि गरीब हरिजन रात को खेतों से मिट्टी ला-ला कर अपना घर बनाते हैं, दिन में उनकी हिम्मत नहीं है। तो इस परपज के लिए तो एक्ट बनाते नहीं और योगाश्रम खोलने या बड़ी-बड़ी मिलें खोलेंगे, महादेवजी की पूजा होगी, पूजा आप भले ही करें, लेकिन पहले आदमी की पूजा जरूरी है। तो जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कोई ऐसा कम्प्रीहैंसिव ऐक्ट लाइये जिसमें इस बात की व्यवस्था हो कि जिनकी जमीनें लें उनको जमीन बसने के लिए दें। साथ ही उनको मुआवजा दें और इस तरह के आश्रम के लिये या और चीजों के लिए गैर-जरूरी तरीके से जमीन एक्वायर न करें। जमीन एक्वायर करना है तो उन गरीबों के बसने के लिए करना चाहिए। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन में सदस्यों द्वारा कही गई बातों का आदर करेंगे, कम से कम शिवनारायण जी की बातों

[श्री सरजू पांडे]

को जरूर मानते, उन्हों ने भी इस का विरोध किया है जो रात दिन आप के साथ रहते हैं ।

श्री जाज फर्नेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस विधेयक को वापस ले या छः महीने वाला जो सुझाव है उस को स्वीकार करें। वरना इतना ही हम समझते कि जो लोग शहरों में इस तरह का पेशा बना कर बैठे हैं कि रिक्वीजिशन हुए मकानों को डि-रिक्वीजिशन कराने के लिए दिल्ली के चक्कर काटते रहते हैं उन्हीं के वास्ते और कई और इस तरह के लोगों को घर बनाने में मदद करने के वास्ते यह कानून बनाने का काम सरकार करना चाहती है और भ्रष्टाचार और घुसखोरी को और बढ़ाने के प्रयास में सरकार लगी हुई है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

SHRI JAGANATH RAO: I have already explained how I cannot withdraw the bill. As I have stated earlier, this Bill is only to give authority to hold the properties which have been requisitioned under the Defence of India Act, 1962 which ceases to exist. I must have some legal authority to hold these properties. The period of six months has also expired by 10th July, 1968.

I quite appreciate the anxiety expressed by all sections of the House that requisitioned properties which have been in the posession of the Government from 1939 should be de-requisitioned as early as possible or such of them as may be necessary may be acquired. I may inform the House that from the time I have been trying to de-requisitioned properties which have been requisitioned on certain principles. Properties which have been requisitioned long before, from 1939 or 1940 from the point of time, I am trying to de-requisition them. Secondly, where the property is required by the owner for his own use, I am trying to de-requisition. Thirdly, where the purpose for which the requisition was made cease to exist, I am trying to de-requisition. I have adopted certain principles on which I am going, but this can be done only in a phased manner, in a progressive manner. It is not possible all of a sudden for any Government to hand over properties which they have requisitioned. It is a question of time, but I can also assure the House that the properties which are no longer required will certainly be de-requisitioned. At any rate, this Act lasts only till March, 1970. Meanwhile if the Mulla Committee Report is available to Government, certainly a consolidating Act on the law of requisition and acquisition will be brought forward by the Government.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided.

Division No. 3] **AYES** **[15.43 hrs.**

Agadi, Shri S. A.
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Basumatari, Shri
Baswant, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhatacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Chandrika Prasad, Shri
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri Y. B.
Choudhary, Shri Valmik
Das, Shri N. T.
Dass, Shri C.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri B. D.
Deshmukh, Shri K. G.
Deshmukh, Shri Shivaji rao S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Gajraj Singh Rao, Shri
Ganesh, Shri K. R.
Ganpat Sahai, Shri
Ghosh, Shri Bimalkanti
Gupta, Shri Lakhan Lal
Hazarika, Shri J. N.
Himatsingka, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri V. N.

Kahandole, Shri Z. M.
Kasture, Shri A. S.
Kavada, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Khanna, Shri P. K.
Kinder Lal, Shri
Krishnan, Shri G. Y.
Laskar, Shri N. R.
Mahadevappa, Shri Ram pur
Mahajan, Shri Vikram Chand
Maharaj Singh, Shri
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mane, Shri Shankarrao
Masuriya Din, Shri
Mehta, Shri Asoka
Mehta, Shri P. M.
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mrityunjay Prasad. Shri
Naghnoor, Shri M. N.
Naidu, Shri Chengalraya
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Pandey, Shri K. N.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Parmar, Shri D. R.
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manubhai
Patel, Shri N. N.
Patil, Shri Anantrao
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri T. A.
Poonacha, Shri C. M.
Pramanik, Shri J. N.
Prasad, Shri Y. A.
Qureshi, Shri Mohd. Shafi
Radhabai, Shrimati B.
Raj Deo Singh, Shri
Raju, Shri D. B.
Ram Dhan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri J. Ramapathi
Raut, Shri Bhola
Rohatgi, Shrimati Sushil
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.
Sankata Prasad, Dr.
Sarma, Shri A. T.
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Shumbhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri
Sharma, Shri Naval Kishore
Shastri, Shri B. N.
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Shinkre, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sonar, Dr. A. G.
Supakar, Shri Sradhakar
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Tula Ram, Shri
Uikey, Shri M. G.
Veerappa, Shri Ramachandra
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadav, Shri Chandra Jeet

NOES

Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Badrudduja, Shri
Bansh Narain Singh, Sh
Basu, Shri Jyotirmoy
Behera, Shri Baidhar
Berwa, Shri Onkar Lal
Bhagaban Das, Shri
Bharti, Shri Maharaj Singh
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chauhan, Shri Bharat Singh
Daschowdhury, Shri B. K.
Desai, Shri Dinkar
Digvijai Nath, Shri Mahant
Dipa, Shri A.
Fernandes, Shri George
Ghosh, Shri Ganesh
Goel, Shri Shri Chand
Gowder, Shri Nanja
Gudadinni, Shri B. K.
Gupta, Shri Indrajit
Gupta, Shri Kanwar La
Heerji Bhai, Shri
Jha, Shri Bhogendra
Jharkhande Rai, Shri
Joshi, Shri S. M.
Kachwai, Shri Hukam Chand
Khan, Shri Latafat Ali
Kunte, Shri Dattaraya
Kushwah, Shri Y. S.
Limaye, Shri Madhu
Lobo Prabhu, Shri
Madhukar, Shri K. M.
Maiti, Shri S. N.
Majhi, Shri M.
Meena, Shri Meetha Lal
Menon, Shri Vishwanath
Mody, Shri Piloo
Naik, Shri G. C.
Nath Pai, Shri
Nihal Singh, Shri
Onkar Singh, Shri
Pandey, Shri Sarjoo
Paswan, Shri Kedar
Patil, Shri N. R.
Rajasekharan, Shri
Ranga, Shri
Ray, Shri Rabi
Saboo, Shri Shri Gopal
Samanta, Shri S. C.
Sambhali, Shri Ishaq
Satya Narain Singh, Shri
Shah, Shri T. P.
Shah, Shri Virendra Kumar
Sharma, Shri Beni Shanker
Sharma, Shri Yajna Datt
Sharma, Shri Yogendra

Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Sheopujan
Singh, Shri J. B.
Somani, Shri N. K.
Sondhi, Shri M. L.
Suraj Bhan, Shri
Tapuriah, Shri S. K.
Thakur, Shri Gunanand
Yadav, Shri Jageshwar

15.40 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result of the division is: Ayes* 111; Noes 67.†

The motion was adopted.

BORDER SECURITY FORCE BILL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Sir, I move:

> "That the Bill to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The present Bill is meant for the constitution and regulation of the Border Security Force. This Border Security Force was formally constituted on the 1st December, 1965 under the CRP Act. I may give a little history of this force, and the circumstances which ultimately led to this formation which I think are relevant when we are going to consider this particular Bill.

There have been, as you know, in 1965 and 1966 a large number of infiltrations and intrusions and even attacks on the Indian borders and therefore it was found necessary to undertake a closer study of the problems of security on the borders of India. Therefore, a series of studies were undertaken and this particular Bill and the formation of the Border Security Force is the culmination of those studies.

The purpose of this force is, as I have said, to ensure the security of the borders of India, secondly, to secure or instil a sense of confidence in the people living on the borders and, at the same time, to take precautions to see that smuggling and all the types of crimes that take place on the borders do not take place. Naturally, the requirements of such a force are of a special type, and we had to take a different type of organisation, a different type of training and we have practically to give weaponry to this force which is as good as that of an infantry. The type of discipline and efficiency that is expected of them requires a special legislation of this type. So, this is really speaking the genesis of this force and of this Bill and it is the justification for having a special statute which sanctions the functioning of an important force like this.

Coming to the Bill itself, I would like to draw the attention of the House to certain important features of it. Those hon. Members who have cared to go through this Bill need not have any explanation from me on this point. I think, however, that in a speech like this it is necessary that I run rather hurriedly and explain some of the important features of this Bill. Chapter I deals, as usual, with the preliminary matters of legislation, giving the definitions of important

*The following Members also recorded votes for "AYES":
Sarvashri B. N. Bhargava, Shri B.K. Gudadinni, Shri Heerji Bhai, Kumari Kamala Kumari and Shri Rajasekharan.

†The following Members wrongly voted for "NOES:
Sarvshri B. K. Gudadinni, Shri Heerji Bhai and Shri Rajasekharan.